नाथड़ियास में इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री की गड़बड़ी पकड़ी

चरागाह में रोज 25 टैंकर दूषित पानी छोड़ रहे, बंजर हो रही जमीन

भास्कर न्यूज | भीलवाड़ा

चितौड़गढ़ रोड पर नाथड़ियास (सुवाणा) में चरागाह जमीन पर इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री चेयरमैन सिल्क मिल्स की ओर से केमिकल युक्त गंदा पानी छोड़े जाने व फैक्ट्री से निकलने वाले दुर्गंध के गंभीर मामले ने तूल पकड़ लिया है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चेयरमैन सिल्क मिल्स की ओर से प्रतिदिन प्रदूषित पानी चरागाह जमीन पर डाला जा रहा है। जिससे जमीन, फसल और मवेशियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिदिन 20 से 25 टैंकर गंदा पानी खाली किया जा रहा है, जिससे जमीन बंजर होती जा रही है। पशु उस पानी को पीने के बाद बीमार हो रहे हैं, यहां तक कि कई पशुओं की मौत होने की भी आशंका जताई गई है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री की गैसों से वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि फैक्ट्री से निकलने वाला पानी नालों से खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे उपज प्रभावित हो रही है।

10 मार्च को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिकायत में बताए तथ्य प्रथम दृष्टया सही पाए गए।

मंडल ने कार्रवाई की अनुशंसा मुख्यालय भेजी

एकत्र नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा है। प्रारंभिक जांच के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर मंडल मुख्यालय को भेज दी गई है, जिसमें प्रदूषण फैलाने के मामले में आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि फैक्ट्री पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि पर्यावरण, पशुधन और आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। वहीं मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नाथड़ियास में इथेनॉल फैक्ट्री

भास्कर नॉलेज कैसे बनता है इथेनॉल

इथेनॉल एक पारदर्शी, ज्वलनशील और अल्कोहल आधारित बायोफ्यूल (जैव ईंधन) है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का, चावल और अन्य पौधों (बायोमास) के किण्वन से बनाया जाता है। यह पेट्रोल का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, जिसे कम प्रदूषण और बेहतर इंजन प्रदर्शन के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है।

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in

International Year of Cooperatives 2025

क्रम/क्षे.का./भीलवाडा/ सामान्य -/Rajkaj Ref No

दिनांक :-As per E Sign

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जयपुर

(शाखा प्रभारी- ~~डेस्कटाइल~~)
DF

विषयः- मेसर्स चेयरमैन सिल्क मिल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम नाथाडियास, भीलवाडा की राजस्थान संपर्क पोर्टल दर्ज शिकायत के सत्यापन के बाबत ।
सन्दर्भः- राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज विभिन्न शिकायतो के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शिकायतों के क्रम में, उक्त वर्णित इकाई का निरीक्षण मंडल अधिकारीयों द्वारा दिनांक 10.03.2026 को किया गया । दौरान मौका निरीक्षण, शिकायतकर्ताओ से संपर्क किया गया एवं बताये गए तथ्यों की जांच की गयी । निरीक्षण के दौरान पाए गए तथ्यों के आधार पर उक्त इकाई की जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु मंडल मुख्यालय को प्रेषित की जा रही है ।

सादर ।

भवदीय

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(दीपक धनेटवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

Signature valid
Digitally signed by Deepak Dhanetwal
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2026.03.10 22:59:00 IST
Reason: Approved

18–19.पन्नाधाय सर्किल. आजादनगर. भीलवाडा
18-19, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar Bhilwara

निरीक्षण रिपोर्ट: मेसर्स चेयरमैन सिल्क मिल प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक: 10.03.2026 **स्थान:** ग्राम नथड़ियास, भीलवाड़ा

---

1. परिचय और पृष्ठभूमि

अधोहस्ताक्षकर्ताओ द्वारा श्री मुकेश, श्री हीरा लाल, श्री भालू लाल और श्री विनोद जोशी द्वारा **'राजस्थान संपर्क पोर्टल'** पर दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर उक्त इकाई का मौका निरीक्षण किया गया। शिकायतें मुख्य रूप से इकाई द्वारा फैलाए जा रहे वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित थीं।

2. शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे

निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों से संपर्क किया गया, जिन्होंने निम्नलिखित समस्याएं बताईं:

- **अपशिष्ट जल निकासी: शिकायतकर्ताओं द्वारा यह अवगत कराया गया कि,** इकाई द्वारा पिछले 10-15 दिनों से परिसर के बाहर अपशिष्ट जल (Effluent) छोड़ा जा रहा है।
- **टैंकरों का उपयोग:** शिकायतकर्ताओं द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि, इकाई द्वारा रात के समय टैंकरों के माध्यम से अपशिष्ट जल को आस-पास के कृषि क्षेत्रों में डाला जा रहा है, जिससे मिटटी प्रदूषित हो रही है। शिकायतकर्ताओ द्वारा निरीक्षण दल को उक्त स्थानों को चिन्हित भी कराया गया।
- **दुर्गंध की समस्या:** ग्रामीणों ने इकाई के संचालन के दौरान आने वाली दुर्गंध और उससे होने वाले संभावित स्वास्थ्य खतरों के बारे में भी निरीक्षण दल को अवगत कराया।
- **सेस पूल (Cess Pool):** ग्रामीणों ने परिसर के भीतर एक गड्ढे (Cess Pool) की उपस्थिति का भी अंदेशा जताया जिसमें अपशिष्ट जल भरी मात्र में भरा हुआ बताया गया ।

3. <u>निरीक्षण के दौरान मुख्य अवलोकन</u>

- **निकासी के साक्ष्य:** हालांकि निरीक्षण के समय इकाई द्वारा अपशिष्ट जल की कोई सीधी निकासी निरीक्षण दल द्वारा नहीं पायी गयी, परन्तु ग्रामीणों द्वारा बताए गए स्थानों के मौका निरीक्षण के दौरान पर अपशिष्ट जल के वाष्पीकरण के पश्चात शेष रहे नमक के जमाव (Traces of salt) देखे गए, जिससे प्रथम द्रष्टया यह प्रतीत होता है कि इकाई द्वारा पूर्व में लगभग 10-15 दिन पहले अपशिष्ट जल बाहर छोड़ा गया है।
- **वीडियो साक्ष्य:** इकाई द्वारा दौरान मौका निरीक्षण, टैंकरों के माध्यम से अपशिष्ट निपटान का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, अपितु ग्रामीणों ने इस संबंध में निरीक्षण दल के समक्ष वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमे टैंकर द्वारा अपशिष्ट जल इकाई परिसर से भरा छोड़ा जाना पाया गया। हालाँकि निरीक्षण दल द्वारा शिकायतकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत विडियो की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती ।
- **दुर्गंध नियंत्रण:** इकाई के निरीक्षण के दौरान किसी तरह की भारी गंध निरीक्षण दल को महसूस नहीं हुई, फिर भी ग्रामवासियों द्वारा दर्ज करायी गयी आपतियों को ध्यान में रखते हुए, इकाई को इकाई परिसर के चारो तरफ पर सुगंध युक्त फोगर्स (Fragrance foggers) लगाने का निर्देश दिया गया।
- **परिसर के भीतर सेस पूल:** जैसा कि, ग्रामवासियों द्वारा शिकायत के दौरान बताया गया की इकाई द्वारा परिसर के अंदर एक बिना अस्तर वाला (Unlined) सेस पूल बनाया गया है, जिसमें अपशिष्ट भरा था। दौरान मौका निरीक्षण उपरोक्त तथ्य सही पाए गए । पूछने पर इकाई प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण दल को अवगत कराया गया कि, डाइजेस्टर के ओवरफ्लो होने के कारण इस तरह की घटना घटित हुई है । निरीक्षण दल द्वारा इकाई को अपशिष्ट को पुनः उपचार संयत्र में लेकर गढ़े को खाली कर मिट्टी से भरने का निर्देश दिया गया है।
- **नमूना जांच:** निरीक्षण दल द्वारा बायलर से जुडी हुई स्टैक (Stack) की मॉनिटरिंग, भूजल नमूना एकत्रीकरण(इकाई परिसर और बाहरी कुओं/हैंडपंपों से) और ध्वनि स्तर की जांच की गई है, जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट लंबित है। इसके अतिरिक्त सेस पूल में भरे हुए अपशिष्ट जल के नमूने भी एकत्रित किये गए जो विश्लेश्नार्थ लंबित है ।

4. संपर्क पोर्टल में दर्ज कमियों के अतरिक्त निरीक्षण दल द्वारा किये गए अन्य प्रेक्षण

- इकाई द्वारा कोयला क्रशिंग क्षेत्र को टीन शेड कवर नहीं किया गया है।
- इकाई द्वारा ईंधन (भूसा/Husk) के लिए चिन्हित क्षेत्र ढका हुआ भंडारण क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- इकाई द्वारा कन्वेयर बेल्ट के ट्रांसफर पॉइंट्स पर 'बैग हाउस' नहीं लगाए गए हैं। जिसके लिए इकाई को निर्देशित किया गया ।

5. निष्कर्ष और प्रस्तावित कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल द्वारा पायी गयी कमियों के आधार पर, प्रथम द्रष्टया यह स्पष्ट है कि, संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के तथ्य सही हैं और इस बात की उच्च संभावना है कि इकाई ने टैंकरों अथवा/एवं अन्य माध्यमों से इकाई परिसर के बाहर अपशिष्ट छोड़ा गया है। इकाई ने परिसर के भीतर भी अपशिष्ट जल का उचित प्रबंधन नहीं किया है।

अनुशंषा: उपरोक्त पायी गयी कमियो एवं तथ्यों के आधार पर इकाई को वायु और जल अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं के तहत मंडल मुख्यालय (HO) स्तर से **कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice)** जारी किये जाने की अनुसंशा की जाती है।

(श्वेता दाधीच)	(महेश कुमार सिंह)	(दीपक धनेटवाल)
S.O.	(Supt. SO.)	(SEE & RO)

मौका निरिक्षण के दौरान की गयी फोटोग्राफी

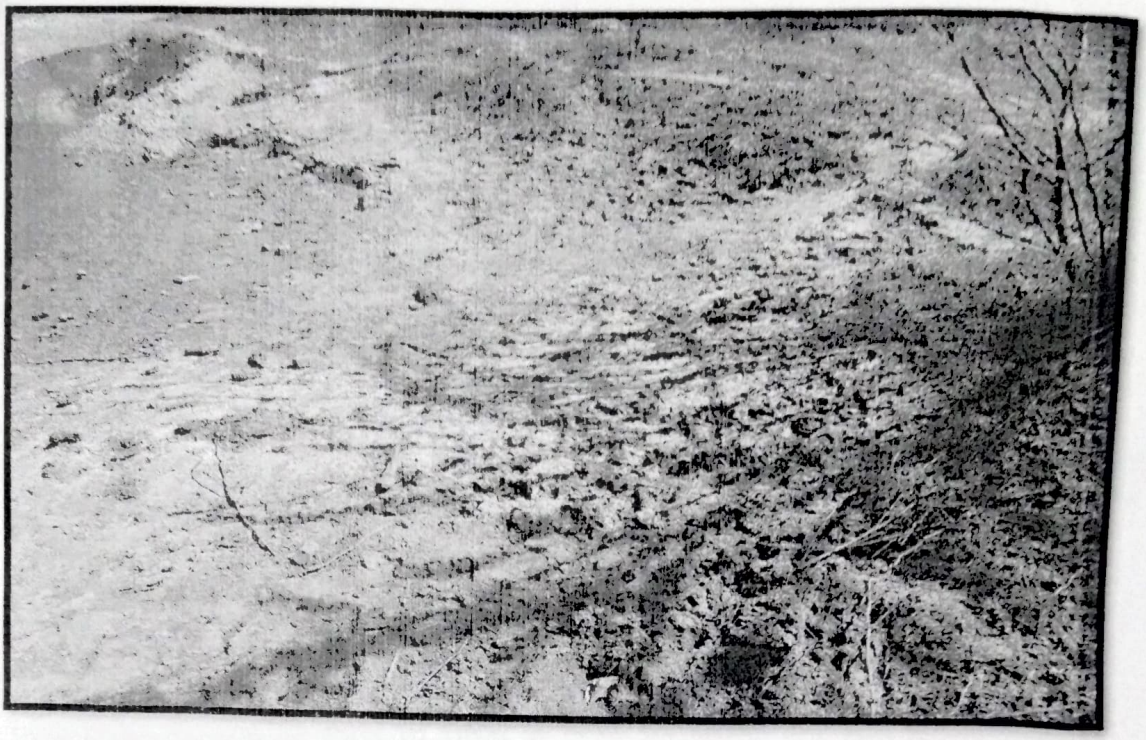

आकृति 1 इकाई द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट के अवशेष

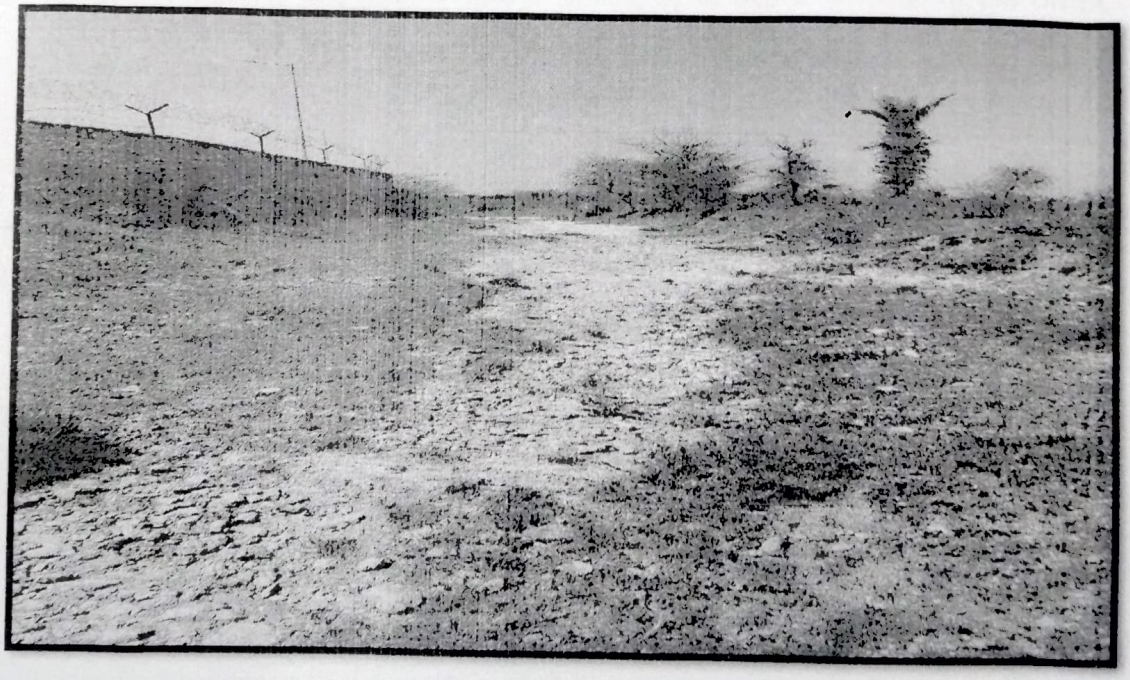

आकृति 2 जमे हुए नमक के अवशेष

आकृति 3:- वर्षा जल छोड़ने के लिए बनाये गए आउटलेट

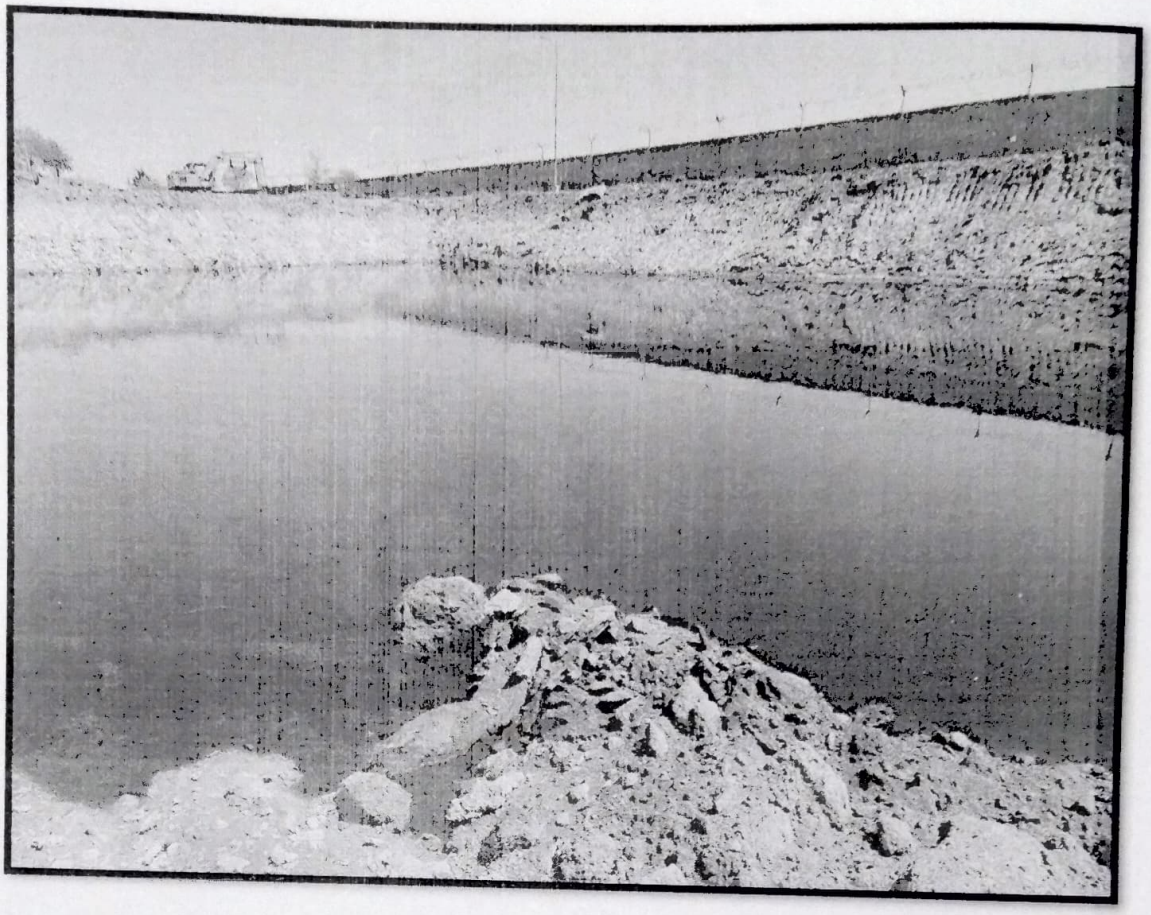

आकृति 4:- इकाई द्वारा परिसर मिएँ बनाया गया अपशिष्ट जल का सेस पूल

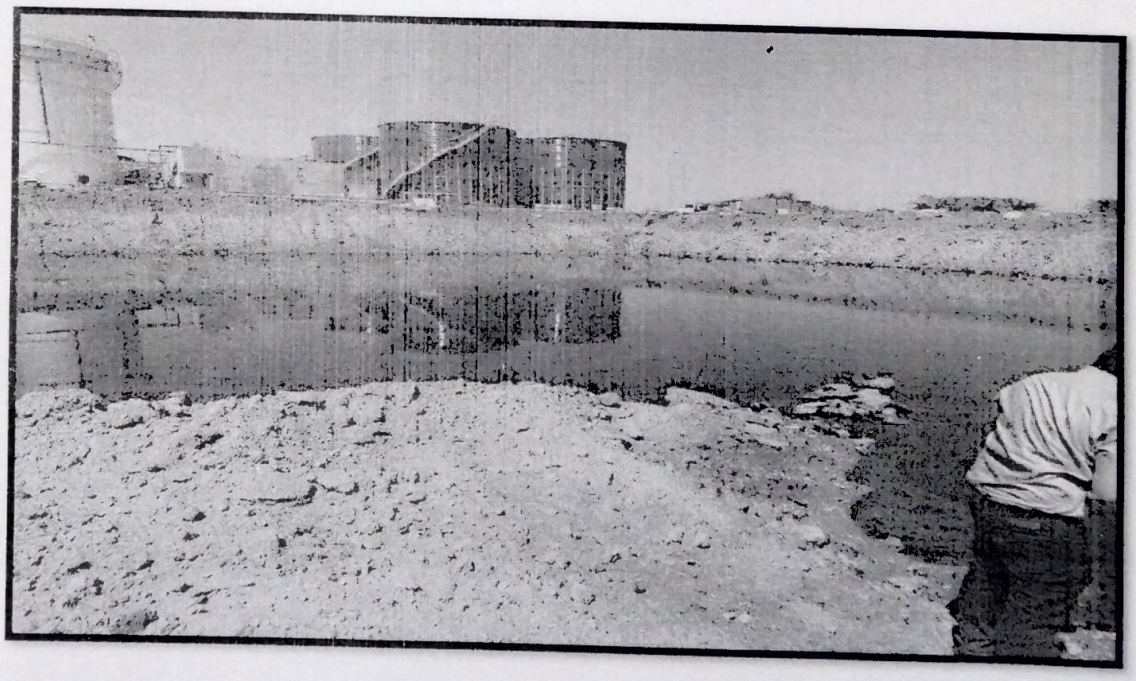

आकृति 5 इकाई द्वारा परिसर मिएँ बनाया गया अपशिष्ट जल का सेस पूल